राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– <u>राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/01/2023 को संपन्न 445वीं बैठक का कार्यवाही विवरण</u>

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेष कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एम.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विनय सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद तजीम खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री डॉ. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया–

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1: **443वीं एवं 444वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/12/2022 एवं 29/12/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 443वीं एवं 444वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/12/2022 एवं 29/12/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स चोण्डकेम्ही लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती संगीता तिवारी), ग्राम–चोण्डकेम्ही, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1930)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 72173/2022, दिनांक 11/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोन्डपेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364/2, 366/2, 367/2, 367/3, 368, 369, 370, 371, 372, एवं 373, कुल क्षेत्रफल–1.85 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता–42,125 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/08/2022 2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नितिन तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोन्डपेन्ड्री का दिनांक 13/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1286/खनि. अनु.–01/2021 दुर्ग, दिनांक 29/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1627/खनि.लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 24 खदानें, क्षेत्रफल 58.652 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1627/खनि.लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1008/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 01/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5649/खनि 02/उ.प.–अनुज्ञप्ति/न.क्र.50/2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28/10/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 28.08.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.08.2020) के नियम 42 के उप–नियम (6) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 367/2 का भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। शेष सभी खसरा आवेदक के नाम पर है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/5081 दुर्ग, दिनांक 24/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 40 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोपालपुरी 600 मीटर, स्कूल ग्राम–गोपालपुरी 800 मीटर एवं अस्पताल मेडेसरा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 600 मीटर दूर है। नाला 2 कि.मी., तालाब 500 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,87,475 टन, माईनेबल रिजर्व 3,76,475 टन एवं एक्सट्रेक्टेबल रिजर्व 3,38,827 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

5,970 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,238 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,125
द्वितीय	39,750
तृतीय	34,500
चतुर्थ	31,500
पंचम	31,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान के चेप्टर–4 (Reserve) अनुसार लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर सेफ्टी जोन में क्रशर का क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर बताया गया है। साथ ही क्रशर क्षेत्रफल को 7.5 मीटर सेफ्टी जोन में सम्मिलित करते हुये रिजर्व की गणना की गई है, जबकि 7.5 मीटर सेफ्टी जोन को छोड़ते हुये रिजर्व की गणना किया जाना था। प्रस्तुत माईनिंग प्लान के चेप्टर–9 (Land used pattern) अनुसार क्रशर का क्षेत्रफल निरंक बताया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि 7.5 मीटर सेफ्टी जोन को छोड़ते हुये रिजर्व की गणना परियोजना प्रस्तावक से संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान मंगाया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1627/खनि. लि.02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 20/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 24 खदानें, क्षेत्रफल 58.852 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोण्डपेण्ड्री) का रकबा 1.65 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोण्डपेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 60.502 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटिज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) गौण खनिज माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
   iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
   v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for establishment of crusher.
   vi. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
   vii. Project proponent shall submit a revised approved mining plan incorporating crusher in the calculation without affecting the 7.5 meter safety zone.
   viii. Project proponent shall submit the land ownership detail of khasra no 367/2.
   ix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
   x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
   xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
   xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xiii. EIA study shall be done at minimum 08 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मनोज स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनोज चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1828)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/एमआईएन/ 67663/2021, दिनांक 27/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 200, कुल रकबा–0.38 हेक्टेयर में है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता–2,325 टन (930 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 200, कुल क्षेत्रफल– 0.36 हेक्टेयर, क्षमता–600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुन्द द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।
   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1142/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 14/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	192
2019	66
2020	583
01/01/2021 से 30/09/2021	110
01/10/2021 से 31/03/2022	12

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बम्हनपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1223/क/खलि/न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 01/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 03 खदानें, क्षेत्रफल 40.24 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1329/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 06/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, बाजार, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री मनोज कुमार चन्द्राकर के नाम पर है। लीज अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 07/08/2004 से 06/08/2014 तक थी। तत्पश्चात् लीज अवधि में 20 वर्षों की, दिनांक 07/08/2014 से 06/08/2034 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4041 महासमुंद, दिनांक 22/11/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–[illegible] 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.1 कि.मी. दूर है। महानदी 300 मीटर, नाला 710 मीटर, नहर 730 मीटर एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खदान प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 66,580 टन (26,624 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 24,830 टन (9,932 घनमीटर) एवं ब्लाक्ड रिजर्व 18,622 टन (7,448 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 64,280 टन (25,712 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 22,580 टन (9,032 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,620 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। वर्तमान में ऊपरी मिट्टी की अनुमानित मात्रा 736 घनमीटर शेष होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,762.50	चतुर्थ	2,381.25
द्वितीय	1,867.50	पंचम	2,126.25

तृतीय	2,238.75	अष्टम	2,448.75
चतुर्थ	2,248.25	नवम	2,430
पंचम	2,325	दशम	2,242.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.21 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 182 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,820 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 247 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वोरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक [illegible] के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, पोंडारी एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 88 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर आवंटित है। ग्राम–पोंडारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं पोंडारी क्षेत्र में [illegible] खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–पोंडारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 28 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर आवंटित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवरलेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 88 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.24 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. निर्धारित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तद्नुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

3. **मेसर्स पर्वत स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री बालमुकुंद चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1829)**

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67948/2021, दिनांक 27/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल–0.24 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–967.5 टन (363 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 399वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/06/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्संबंध सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्संबंध सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 446वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर (फर्शी पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल–0.24 हेक्टेयर, क्षमता–360 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/02/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 50 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1163/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	67
2018	330
2019	67
2020	345
01/01/2021 से 30/09/2021	312
01/10/2021 से 31/03/2022	210

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलसापुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1638/ख/खलि/न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 14/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदानें** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.36 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1240/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, बाजार, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री बालमुकुंद चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/08/1997 से 01/08/2007 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 02/08/2007 से 01/08/2027 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 311 एवं 244) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/6123 महासमुंद, दिनांक 31/12/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बकमापुर 560 मीटर एवं स्कूल ग्राम–बकमापुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.95 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.15 कि.मी. दूर है। महानदी 660 मीटर, नाला 280 मीटर, नहर 560 मीटर एवं तालाब 730 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 54,000 टन (21,600 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 9,456 टन (3,782 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 7,092 टन (2,837 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 50,418 टन (20,168 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 5,871 टन (2,348 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,448.7 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र के ऊपरी मिट्टी का उत्खनन पूर्व में किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	881.25	षष्ठम	912.5
द्वितीय	885	सप्तम	933.75
तृतीय	900	अष्टम	937.5
चतुर्थ	903.75	नवम	945
पंचम	907.5	दशम	1,218.8

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की

जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 144 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, चोखली एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 98 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–चोखली के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसके राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं चोखली क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–चोखली एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 28 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवरलेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 98 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.36 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.24 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) फॉर ओपन माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant

cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

4. **मेसर्स फर्शी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री खेमलाल चन्द्राकर), ग्राम–बल्लभपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1630)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67949/2021, दिनांक 27/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बल्लभपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 467, कुल क्षेत्रफल–0.5 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–2,542.5 टन (1,017 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल– 0.8 हेक्टेयर, क्षमता–1,217 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुन्द द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ङ. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

च. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1282/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	95
2018	137
2019	195
2020	380

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़गांव का दिनांक 01/12/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो 10 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी। अतः समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (बैठक कार्यवाही विवरण एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान एवं क्लोजर प्लान एवं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 866/ख/खलि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 28/05/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.10 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1282/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री सोमनाथ चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 06/03/2014 से 05/03/2024 तक है। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 06/03/2024 से 05/03/2044 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री जोहन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/4492 महासमुंद, दिनांक 21/12/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 640 मीटर एवं स्कूल ग्राम–बरबसपुर 860 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। सिरकोनी–बड़गांव मार्ग 80 मीटर, महानदी 880 मीटर, नाला 310 मीटर, नहर 500 मीटर एवं तालाब 580 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 84,820 टन, माईनेबल रिजर्व 32,790 टन एवं रिकवरेबल 24,592 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,184 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	–	षष्ठम	2,538.75
द्वितीय	–	सप्तम	2,542.5
तृतीय	2,212.5	अष्टम	2,546.25
चतुर्थ	2,310	नवम	2,550
पंचम	2,493.75	दशम	2,567.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.79 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 252 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 265 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन

है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(ii) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तें के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–[illegible], घोड़ारी एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर आवंटित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसके राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–[illegible] एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर आवंटित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित 68 खदानें, क्षेत्रफल 40.1

हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) का रकबा 2.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) को मिलाकर कुल रकबा 40.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the latest NOC of Gram Panchayat for mining.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

6. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री बालमुकुंद चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1831)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 67880/2021, दिनांक 27/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 177, कुल रकबा–0.8 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–1,875 टन (830 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई

वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में कच्ची पत्थर खदान खसरा क्रमांक 177, कुल क्षेत्रफल– 0.8 हेक्टेयर, क्षमता–630 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्देशित शर्तानुसार 160 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1152/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	178
2018	414
2019	387
2020	238
01/01/2021 से 30/09/2021	257

01/10/2021 से 31/03/2022	100

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1776/रे/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 02/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/रे/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, रकबा 39.8 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1241/रे/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री बरबसपुर सरपंचावर के नाम पर है। लीज अवधि 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/02/2011 से 24/02/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज अवधि में 25 वर्षों की, दिनांक 25/02/2016 से 24/02/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/4121 महासमुंद, दिनांक 12/10/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 1.3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16 कि.मी. दूर है। महानदी 170 मीटर, नाला 900 मीटर, नहर 870 मीटर एवं तालाब 1.3 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,37,520 टन (55,008 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 36,620 टन (14,648 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 27,465 टन (10,986 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,33,585 टन (53,434 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 32,685 टन (13,074 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,741 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,020 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	945	षष्ठम	1,605
द्वितीय	1,230	सप्तम	1,785
तृतीय	1,455	अष्टम	2,055
चतुर्थ	1,560	नवम	2,070
पंचम	1,575	दशम	2,017.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.85 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 372 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,741 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक V(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, घोड़ारी एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवरलैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.8 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. अतिक्रमित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिककार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटिज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
   iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
   iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
   v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
   vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
   vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
   viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
   ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
   x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
   xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

6. मेसर्स लाईम स्टोन (फर्शी स्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री अमित कुमार चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (परिवेश का नस्ती क्रमांक 1832)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67951/2021, दिनांक 27/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बम्हनपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 368, कुल क्षेत्रफल–0.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1687.5 टन (675 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नेमी चन्द चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 388, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर, क्षमता – 670 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/02/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1244/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	813
2018	754
2019	369
2020	401
01/01/2021 से 30/09/2021	222
01/10/2021 से 31/03/2022	204

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 26/02/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलाग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 22/क/खनि/न.क./2016 महासमुंद, दिनांक 13/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.9 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1330/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 06/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री ललित कुमार चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/08/1997 से 07/08/2007 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 08/08/2007 से 07/08/2027 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 358) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3784 महासमुंद, दिनांक 29/12/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बम्हनपुर 1.2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बम्हनपुर 1.38 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 12 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.3 कि.मी. दूर है। महानदी 580 मीटर, नाला 50 मीटर, नहर 400 मीटर एवं तालाब 800 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 91,200 टन (36,480 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 38,718 टन (15,488 घनमीटर) एवं मिनरेबल रिजर्व 29,036 टन (11,614 घनमीटर) है।

वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 88,437 टन (35,374 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 35,952 टन (14,380 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,749 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,674 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 21 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,357.50	षष्ठम	1,770
द्वितीय	1,413.75	सप्तम	1,882.5
तृतीय	1,567.50	अष्टम	1,991.25
चतुर्थ	1,642.50	नवम	2,092.5
पंचम	1,687.50	दशम	2,163.75

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.85 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बावत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 270 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,749 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, पोंडारी एवं भुईंया, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 85 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर आवंटित है। ग्राम–पोंडारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं

खोड़सी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–खोड़सी एवं भुसेना क्षेत्र में 29 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओवरलेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 99 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

19. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। एस्क के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

20. प्रस्तुतिकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रोपराईटर श्री अनिल कुमार चन्द्राकर का आकस्मिक निधन कुछ दिनों पूर्व हो गया है। पूर्व से ही खदान से संबंधित शासकीय एवं अशासकीय कार्यों को करने हेतु श्री अनिल कुमार चन्द्राकर द्वारा श्री नेमीचंद चन्द्राकर को अधिकृत किया गया था। इस बाबत् नोटरी से सत्यापित आम मुख्तारनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में श्री अनिल कुमार चन्द्राकर के निधन उपरांत उनके उत्तराधिकारी के नाम पर खदान के लीज का हस्तांतरण किया जाना है। अतः खनिज कार्यालय के द्वारा लीज हस्तांतरण कराकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिससे समिति सहमत हुई।

21. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.9 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण

नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the copy of lease transfer from mining department.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. Project proponent shall submit an affidavit that no green trees will be cut without the permission of competent authority.

xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), मध्यप्रदेश को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया सामुदायिक भवन अरेरा नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. मेसर्स लाईम स्टोन (ब्लेक स्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री दिलीप कुमार अग्रवाल), ग्राम–घोंघारी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1833)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/67953/2021, दिनांक 28/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोंघारी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल–1.04 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–2,210 टन (884 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 15/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सम्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सम्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/10/2022 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सम्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पाली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में चूना पत्थर उत्खनन खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल – 1.04 हेक्टेयर, क्षमता – 884 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/02/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 210 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	375
2018	534
2019	868
2020	618

   समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पोंडारी का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्कारपोरेटेड कॉन्सेप्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1624/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 12/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 15/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 28.66 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1265/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दिलीप कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/07/1997 से 21/07/2007 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्ष की, दिनांक 22/07/2007 से 21/07/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 12) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3677 महासमुंद, दिनांक 04/11/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पोंडारी 550 मीटर एवं स्कूल ग्राम–पोंडारी 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 12 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.5 कि.मी. दूर है। महानदी 250 मीटर, नाला 1.4 कि.मी., नहर 840 मीटर एवं तालाब 1.55 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 17,698 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 10,122 घनमीटर एवं ब्लॉक्ड रिजर्व 7,576 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 15,717

घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 8,010 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,052 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 5.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,088.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	825	षष्टम	1,138.5
द्वितीय	990	सप्तम	1,138.5
तृतीय	1,023	अष्टम	1,260
चतुर्थ	758.5	नवम	1,213.5
पंचम	828.5	दशम	843

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.59 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 288 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,052 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित था। उक्त उत्खनित भाग का परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनर्भराव कर वृक्षारोपण कार्य किया गया है। साथ ही फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VII(ii) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–[illegible], [illegible] एवं मुड़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 85 पत्थर खदानें, कुल

क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर आवंटित है। ग्राम–पोंडकी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बसबहुर एवं पोंडकी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–पोंडकी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर आवंटित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे से ओवरलैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित 88 खदानें, क्षेत्रफल 38.96 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पोंडकी) का रकबा 1.04 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पोंडकी) को मिलाकर कुल रकबा 40.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण उक्त क्षेत्र के सुधारात्मक उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति

पहुँचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्टस/एक्टिविटिस रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the copy of lease transfer.

v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रति प्रेषित किया जाए।

6. **मेसर्स भीखराम चक्रधारी (बलदेवपुर लाईम स्टोन माईन), ग्राम–बलदेवपुर, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2015)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43864/ 2019, दिनांक 15/10/2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43864/ 2019, दिनांक 05/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बलदेवपुर, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 868, 870, 876(पार्ट) एवं 877, कुल क्षेत्रफल–1.286 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता– 12,800 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः दिनांक 08/09/2022 को आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा समयाभाव होने के कारण अमान्य किया गया।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भोलाराम चक्रधारी, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री तुहीन जयाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 868, 870, 876(पार्ट) एवं 877, कुल क्षेत्रफल – 1.286 हेक्टेयर, क्षमता – 12,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/313/खलि02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 एवं ज्ञापन क्रमांक/1611/खलि02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 06/09/2022 द्वारा जारी उत्पादन पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2007–08	877	अप्रैल 2015–दिसंबर 2015	5,660
2008–09	4,511	जनवरी 2016–दिसंबर 2016	निरंक
2009–10	4,166	अक्टूबर 2016–मार्च 2017	9,690
2010–11	4,155	2017–18	12,200
2011–12	3,110	2018–19	9,000
2012–13	2,660	अप्रैल 2019–दिसंबर 2019	6,100
2013–14	3,495	अप्रैल 2019–मार्च 2020	9,100
2014–15	7,755	अप्रैल 2020–मार्च 2021	4,500
		अप्रैल 2021–मार्च 2022	4,500

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 26/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities

relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि जुलाई 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की माहवार जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कन्हेपुर का दिनांक 29/11/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1270/खनि 02/मा.प्ला. अनुमोदन/न.क्र.08/2018(3) नवा रायपुर, दिनांक 29/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1612/खा.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 06/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 12.87 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2766/खा.लि. 03/2018 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, श्मशान, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज की स्वीकृति परियोजना प्रस्तावक के नाम पर है। लीज अवधि 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 07/05/2007 से 06/05/2012 तक थी। तत्पश्चात् प्रथम नवीनीकरण 5 वर्ष अर्थात दिनांक 07/05/2012 से 06/05/2017 तक किया गया। तत्पश्चात् लीज अवधि 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 07/05/2017 से 06/05/2037 तक विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, डोंगरगढ़ वनमण्डल डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2022 डोंगरगढ़, दिनांक 28/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बालोदपुर 800 मीटर, स्कूल ग्राम–बालोदपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल डोंगरगढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.29 कि.मी. दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,78,876 टन, माईनेबल रिजर्व 2,29,182 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,40,668 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,508 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं कुल मात्रा 8,400 घनमीटर थी, जिसमें से 7,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को पूर्व में उत्खनित किया जा चुका है। वर्तमान में ऊपरी मिट्टी की अनुमानित शेष मात्रा 1,400 घनमीटर है। इस मिट्टी को 7.5 मीटर (ग्रीनबेल्ट जोन) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,900
द्वितीय	12,900
तृतीय	12,900
चतुर्थ	12,900
पंचम	12,900

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 121 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बाउन्ड्री में (721 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	54,796	5,472	5,472	5,472	5,472
	फेंसिंग हेतु राशि	1,40,200	--	--	--	--
	खाद हेतु राशि	5,400	540	540	540	540
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 13,54,444		**4,66,396**	**2,22,012**	**2,22,012**	**2,22,012**	**2,22,012**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,805 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 330 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 457.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 522.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 502.5 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड क्वारी प्लान में किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.18 के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रता लेवल:-**

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum ($\mu g/m^3$)**	**Maximum ($\mu g/m^3$)**	**CPCB Standard ($\mu g/m^3$)**
$PM_{2.5}$	25.32	44.77	60

PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	7.24	14.58	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. की Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण पेयजल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। उत्पादित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी री-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वहन क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना –**

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM_{10}					
S. No.	**Activity in the mine**	**Maximum Baseline Concentration GLCs (µg/m³) at core area**	**Calculated GLCs (µg/m³)**	**Resultant Concentration (µg/m³)**	**Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) (µg/m³)**
1.	Overall Activities control ROM	67.15	11.0	78.15	100
2.	Overall Activities uncontrolled ROM		30.0	97.15	
3.	ROM Blasting		1.1	68.25	

17. लोक सुनवाई दिनांक 16/09/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। जैसा समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते है तो उस खदान के चारों तरफ तार काटे का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारों तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे कि जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न समय पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हूटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामीणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

15. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल

मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772
	फेंसिंग हेतु राशि	19,73,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		**35,54,492**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**

कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
348 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (231 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,556	1,749	1,749	1,749	1,749
	फेंसिंग हेतु राशि	1,84,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,740	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,27,811	80,611	80,611	80,611	80,611
कुल राशि = 6,61,876		**3,31,707**	**82,540**	**82,540**	**82,540**	**82,540**

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष बैठक में चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54	2%	1.08	Following activities at nearby, **Village-Baldeopur**	
			Pavitra Van Nirman	12.54
			Total	**12.54**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (करंज, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 77,700 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,77,100 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर से सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थल (खसरा क्रमांक 767/1, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

23. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरेखित कर प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर निर्धारित स्थल संग्रहित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (कोऑर्डिनेटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

33. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जुलाई 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की माहवार जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का सी.ए. से सर्टिफाईड टर्न ओवर की प्रति प्रस्तुत की जावे जिससे कि खदान का प्रभावशील अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स ढाबाडीह लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री संजय अग्रवाल), ग्राम–ढाबाडीह, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1948)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर–एसआईए/सीजी/एमआईएन/258392/2022, दिनांक 24/02/2022 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ढाबाडीह, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 184/2, 184/3 एवं 184/4, कुल क्षेत्रफल–0.931 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–16,300.23 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक

में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईन (प्रो.— श्रीमती आनंदी शर्मा), ग्राम—रानीजरौद, तहसील—सिमगा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1918)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/71310/ 2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/08/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—रानीजरौद, तहसील—सिमगा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा, खसरा क्रमांक—607, 608, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 610/1 एवं 610/2, कुल क्षेत्रफल—1.219 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—28,425 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण हेतु ऑनलाईन ऑटो टी.ओ.आर. (Auto ToR) जारी हो गया है। साथ ही क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 से 31/05/2022 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 14/03/2022 को सूचना भी दी गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन जारी ऑटो टी.ओ.

आर. (Auto ToR) की मांग करते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा किये जाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि ऑनलाईन में ऑटो टी.ओ.आर. जारी हो चुका है चूंकि समिति द्वारा प्रकरण पर प्रस्तुतीकरण हेतु विचार नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स घुटिकापारसाला ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती बीना सिंह), ग्राम–घुटिकापारसाला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1982)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 266682/ 2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घुटिकापारसाला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक – 2/1, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित साधारण पत्थर उत्खनन क्षमता – 12,069 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपाल सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में संचालित पत्थर खदान खसरा क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल – 2.020 हेक्टेयर, क्षमता – 12,024 टन (4,471.85 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. निर्धारित शर्तानुसार 800 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   v. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1048/खनि.लि./उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	632
2018	447
2019	390
2020	942

   समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्ष 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भुरियापारा का दिनांक 20/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया

गया है। समिति का मत है कि उत्खनन की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – रीक्वालिफाइड माईनिंग प्लान सहित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान सहित इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2186/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1048/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती [illegible] सिंह के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्ष अवधि दिनांक 05/01/2012 से 04/01/2017 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्ष अवधि दिनांक 05/01/2017 से दिनांक 04/01/2042 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2009/388 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/08/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाना आवश्यक है तथा आगामी वर्षों की संशोधित उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग प्लान में 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 500 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 500 मीटर एवं अस्पताल चिरमिरी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राजमार्ग 4.8 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 120 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,26,481 टन, माईनेबल रिजर्व 5,13,643 टन एवं निष्कर्षणीय रिजर्व 4,87,961 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,880 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है, जिसमें से 18 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 42 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
प्रथम	12,273
द्वितीय	12,069
तृतीय	12,069
चतुर्थ	12,069
पंचम	12,069

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,41,450 रुपये, खाद के लिए राशि 10,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,37,450 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में 1 मीटर ऊंचाई तक फैलाकर वृक्षारोपण करने उपरांत शेष ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माण के लिए किया जाना बताया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा। अतः ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. खसरा की सत्यता हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।

4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर नॉन माइनिंग जोन छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाए तथा आगामी वर्षों की संशोधित उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माइनिंग प्लान में 50 मीटर नॉन माइनिंग जोन छोड़कर अनुमोदित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

5. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाए।

6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का चरणबद्ध व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना के भिन्न–भिन्न स्थानों से प्रदूषित धूल उत्सर्जित होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम Minerals Concession Rules के तहत् क्वालिफाइड पर्सन्स द्वारा संचालन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण एन.जी.टी. के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 14/09/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/11/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 28/12/2022 को आवेदन किया गया है।

2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. आवेदन की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 17/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर नॉन माइनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्पादन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माइनिंग स्कीम में 50 मीटर नॉन माइनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 28° का ढलान रखते हुये लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी 4,660 वर्गमीटर क्षेत्र (वृक्षारोपण के लिए आरक्षित) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जायेगा।

6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण का विस्तृत प्रस्ताव निजी भूमि में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् मान्यताप्राप्त व्यक्तियों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वर्षवार मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का मदवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स लखना सेण्ड माईन (प्रो.- श्री अभिषेक सिंह राठौर), ग्राम लखना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 16482)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/258316/2022, दिनांक 24/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–लखना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 864, कुल क्षेत्रफल - 3 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की उत्खनन क्षमता - 59,868 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधीर अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत कोलियारी(अ) को रेत खदान ग्राम लखना, खसरा क्रमांक 864, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर, क्षमता-60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 28/02/2018 को जारी की गई, जो जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।

ii. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोलियारी(अ) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री अनिकेत सिंह राठौर के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2111/खलि/तीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 30/03/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019-20	1,000
2020-21	12,000
2021-22 (दिनांक 24/02/2022 तक)	13,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोलियारी का दिनांक 15/08/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (प्र.द्व.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 887/खनि 02/रेत/उ.यो.अनु./न.क्र. 01/2022 नवा रायपुर, दिनांक 18/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/1785, दिनांक 23/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/1783, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री अनिकेत सिंह राठौर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन दिनांक

04/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि दिनांक 04/01/2020 से दिनांक 03/01/2022 तक थी, तत्पश्चात् पुनः वर्ष आवधि दिनांक 04/01/2022 से 03/01/2025 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 300 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 300 मीटर एवं अस्पताल [illegible] 4.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.85 कि.मी. एवं राजमार्ग 3.45 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,365 मीटर, न्यूनतम 1,070 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 203 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 201 मीटर, न्यूनतम 102 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.08 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 94,864 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.08 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों ओर से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 24/12/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh

				Rupees)
31.5	2%	0.63	Following activities at Nearby Govt. Primary School, **Village- Lakhna**	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			Water tank (1,000 litre)	0.1
			Pump (1HP)	0.1
			Pipeline & Installation	0.1
			UV Water Filter (50 litre)	0.15
			5 Year AMC	0.1
			Running water arrangement in toilet	
			Water tank (500 litre)	0.075
			Pipeline & Installation	0.125
			Total	**0.75**

15. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 1365 मीटर, न्यूनतम 1070 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर है। नई दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4.750 हेक्टेयर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 2.525 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण हेतु जनसहयोग में लगाये हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण हेतु जनसहयोग में लगाये हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में एम.ओ.ई.एफ. के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F.No. IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258], दिनांक 08/06/2022 का उल्लेख करते हुए परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उनका प्रकरण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के वैधता अवधि विस्तार का प्रकरण है। अतः उक्त प्रकरण पर पुनः विचार करते हुए पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त करने हेतु जारी निर्देश को शिथिल कर, स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत किए गए पर्यावरण स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित मापदण्डानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित मापदण्डानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त

कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 05/12/2022 को तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल अटल नगर रायपुर में दिनांक 06/12/2022 को आवेदन किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित मात्रानुसार वृक्षारोपण पूर्ण सम्पूर्ण में करते हुए पौधों में नम्बरांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित मात्रानुसार वृक्षारोपण पूर्ण सम्पूर्ण में करते हुए पौधों में नम्बरांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स अकोलडीह खदानी लाईम स्टोन (ओ.सी.) क्वारी माईनिंग (प्रो.-मोहम्मद असलम), ग्राम-अकोलडीह, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर [सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1813]**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नंबर- एसआईए/सीजी/एमआईएन/63462/2021 दिनांक 08/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अकोलडीह, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 427/1-2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 453, 454, 455/1-2, 456, 458, 459, 461, 463, 465, 482 एवं 483, कुल क्षेत्रफल – 4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 39,814.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 24/05/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु मोहम्मद असलम, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा उनके प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें ग्रामसभा बैठक दिनांक का उल्लेख नहीं है। साथ ही प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवेदित खदान के संबंध में उल्लेख नहीं है। अतः आवेदित खदान एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एवं [illegible] प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (क्षेत्रीय), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्र रायपुर [illegible] के ज्ञापन क्रमांक 4379/खनि. 02/म.प.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(3), नवा रायपुर, दिनांक 16/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 667/खलि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित [illegible] खदानें, क्षेत्रफल 167.36 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 667/खलि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, ऐतिहासिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1478/ख.लि./तीन-6/उ.प./2021 रायपुर, दिनांक 02/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 455/1-2, 458 एवं 460 आवेदक के नाम पर है। भूमि खसरा क्रमांक 427/1-2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 453, 454, 456, 461, 463, 465 एवं 462 मोहम्मद असलम के नाम पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र में सहमति देने वाले में मोहम्मद असलम एवं [illegible] तथा सहमति पाने वाले में मोहम्मद असलम का नाम उल्लेखित है, जबकि खदान मोहम्मद असलम के नाम पर है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण के साथ सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी रायपुर वनमंडल जिला रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./ [illegible] रायपुर, दिनांक [illegible] से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र में 10 नग बबूल एवं 1 नग [illegible] बबूल पाये गए हैं।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 1.86 कि.मी., स्कूल ग्राम–[illegible] 2.81 कि.मी. एवं अस्पताल [illegible] 8.13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। नाला 60 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,38,250 टन, माइनेबल रिजर्व 7,23,752 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,87,565 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10,740 वर्गमीटर एवं लीज क्षेत्र के कुछ भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 700 वर्ग मीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा [illegible] घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 18 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल [illegible] वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जायेगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	37,762.5	षष्ठम	38,790
द्वितीय	37,987.5	सप्तम	39,000
तृतीय	38,220	अष्टम	39,262.5
चतुर्थ	38,407.5	नवम	44,280
पंचम	38,700	दशम	45,736

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में [illegible] नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सूचना नहीं दी गई। प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि ई.आई.ए. मॉनिटरिंग का कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 में किया गया है।

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन किए गए स्थान की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. लीज क्षेत्र से नाला 80 मीटर दूर है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. खदान स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही विवरण सहित) प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत सहमति पत्र में सहमति देने वाले में मोहम्मद अख्तर एवं प्रस्तुत एवं तथा सहमति पाने वाले में मोहम्मद अख्तर का नाम उल्लेखित है, जबकि खदान मोहम्मद अल्ताफ के नाम पर है। अतः उक्त के संबंध में आवेदक से नया सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. एस.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन किए गए स्थान की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरी मिट्टी के रख-रखाव एवं भण्डारण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत ... का दिनांक 12/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत सहमति पत्र अनुसार सहमति देने वाले मोहम्मद अख्तर एवं प्रस्तुत एवं तथा सहमति पाने वाले में मोहम्मद अल्ताफ है। साथ ही भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.च./मा/2808 रायपुर, दिनांक 28/11/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

4. एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

5. ई.आई.ए. वेरिफिकेशन किये जाने के संबंध में वेरिफिकेशन किये गये स्थान की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।

6. ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 40,980 घनमीटर है तथा लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (संरक्षण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 10,740 वर्गमीटर है। ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (संरक्षण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल में 28° का स्लोप रखते हुए 1 मीटर की ऊंचाई तक ऊपरी मिट्टी को व्यवस्थित कर वृक्षारोपण किये जाने हेतु तथा शेष ऊपरी मिट्टी का प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. लीज क्षेत्र से 500 मीटर के भीतर कोई नाला नहीं होना बताया गया है। प्रस्तुत सर्वे प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 80 मीटर दूरी पर जल संचित नाला बताया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. भूमि खसरा क्रमांक 458 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नाले को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल में 28° का स्लोप रखते हुए 1 मीटर की ऊंचाई तक ऊपरी मिट्टी को व्यवस्थित कर वृक्षारोपण किये जाने हेतु तथा शेष ऊपरी मिट्टी का प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

तत्पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलपहरी एवं मौहभट्ठा, तहसील बिल्हा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1493)

ऑनलाइन आवेदन- पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 62624 / 2021 दिनांक 10/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 72128/ 2018 दिनांक 24/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सिलपहरी एवं भोजपुरी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 8.5 एकड़ में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 41 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 25/05/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन अग्रवाल, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एन.पी.आई. इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** –

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/11/2012 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19/11/2019 तक थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई है। शेष इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल की स्थापना का कार्य शेष है। वर्तमान में उद्योग की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण कार्य किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति से संचालन दिनांक 18/06/2020 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी स्थित 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन स्थित 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिलासपुर एयरपोर्ट 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। [illegible] नदी 9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. लेआउट एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	2,680	10.18
2	Rolling Mill Area	4,565	17.36
3	Finished Good Area	1,640	6.24
4	Raw Material Area	1,860	7.08
5	Parking Area	2,400	9.12
6	Road Area	2,600	9.88
7	Greenbelt	10,558.6	40.14
	Total	26,304.6	100

5. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)		Source	Mode
		Existing	After expansion		
For Induction Furnace					
1.	Sponge Iron	63,171.2	1,26,342.4	Local Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	19,117.6	38,235.2		
3.	Ferro Alloys	831.2	1,662.4		
For Rolling mill					
4.	Billets	-	1,23,000	In house Billets	Conveyor

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Proposed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	72,000 TPA	72,000 TPA	1,44,000 TPA

2.	Hot Charged Rolling Mill	-	1,05,000 TPA	1,05,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन हुड के साथ बैग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (ऊंचाई 30 मीटर) स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन हुड के साथ बैग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (ऊंचाई 30 मीटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत दोनों चिमनियों से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादित एम.एस. बिलेट्स को हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल के माध्यम से रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा तथा शेष बिलेट्स को आस–पास की अन्य इकाईयों में विक्रय किया जाएगा। रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 7,198 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत स्लेग – 14,396 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 5,400 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 1 टन प्रतिवर्ष एवं यूज्ड ऑयल 300 लीटर ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को सीमेंट/ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी अपनाई जाएगी। यूज्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को वापस से इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 41 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 85 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 18/12/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक

प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को एकत्र कर पुनः चक्रीय हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, री-सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमीडिएट टैंक, प्रेशर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार-
  (अ) सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 19,272 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.06 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत) में 2,650 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_x$ का सान्द्रण लेवल:-**

Concentration level (µg/m³) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	17.1	36.2	60
PM_{10}	42.6	62.5	100
SO_2	10.2	18.4	80
NO_2	13.0	21.8	80

पीएम$_{10}$ के इन्क्रीमेंटल डाटा की जानकारी–

Impact				
Pollutants	Baseline Concentration (µg/m³)	Incremental (µg/m³)	Resultant (µg/m³)	CPCB Norms
PM_{10}	62.5	1.43	63.93	100

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	50.9	61.4	75
Night L_{eq}	42.6	53.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 423 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 7.33 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 430.33 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.143 होगी। विस्तार के पश्चात भी रॉ-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वहन क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है। यह बताया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से लगी हुई स्पंज आयरन इकाई है, जो कि आवेदित उद्योग के द्वारा ही स्थापित की गई एक पृथक इकाई है। स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों की कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10

मीटर में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वृक्षारोपण को ले–आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनिर्माण की कुल लागत 41 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधों) हुये कार्यस्थल में करते हुए पौधों के नंबरांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान स्थिति में विनिर्माण की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (क्षमता सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (शपथपत्र में) प्रस्तुत किया जाए।

10. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों की कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।

11. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अवलोकन कर पुनर्रीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार 1,800 नग वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधे) इसी मानसून में करते हुए पौधों में नंबरांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. वर्तमान स्थिति में निर्माण की कुल लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार–

Particulars	SMS (Lakh)	Rolling Mill (Lakh)	Total (Lakh)
Land & Site Devlopment	20	30	50
Building & Civil Works	400	500	900
Plant & Machinery	1,000	1,500	2,500
Electrical Installation	125	75	200
Preliminary & Pre-operative Expenses	50	50	100
Contigencies	125	75	200
Deposites	30	20	50
Pollution Control Equipment	40	10	50
Other Fixed Assets	20	30	50
Total Investment	**1,810**	**2,290**	**4,100**

5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (क्षमता सहित) को ले-आउट में दर्शाते हुए ले-आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ पठनीय प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. रि-हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् एवं मिल स्केल एवं सिन्टर डस्ट को साथ के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् तथा कुल

क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (सारणीबद्ध में) प्रस्तुत किया गया है।

8. उद्योग के प्रमुख मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इन्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउन्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों की कॉमन बाउन्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10-10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि पठनीय नहीं है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अवलोकन कर पुनरीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 5, 6, 8 एवं 10 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्रोतों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जित होगा, उन स्रोतों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2022, 16/12/2022 एवं 21/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07/12/2022 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्मति नवीनीकरण के सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक i, ii, iv, xxii, xxvi & xxvii का आंशिक पालन एवं शर्त क्रमांक viii, xvii, xviii, xix, xxx, xxxi, xxxii & xxxiv का अपूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन शर्तों के परिपेक्ष्य में किये जाने वाले कार्यों हेतु विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 21/12/2022 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

i. प्रस्तावित कार्यकलाप से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। जल का उपयोग कूलिंग हेतु किया जाता है, जिसका पुनःचक्रण कर उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण दूषित जल का निस्तारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग पौण्ड में नहीं होता है; सदैव शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाती है।

ii. फ्यूजिटिव डस्ट के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर द्वारा किये गये मॉनिटरिंग रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

iii. परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्राधिकार जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 18/05/2024 तक है।

iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय ध्वनि स्तर का मापन किया गया है, जो कि मानकों के अनुरूप है। उक्त का उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट का उल्लेख भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया गया है।

v. सी.एस.आर. एवं कॉर्पोरेट इकोलॉजी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उनके द्वारा लागत 48,00,000 रूपये का श्री मंगल उद्यान/पार्क का निर्माण किया गया है, कोविड-19 महामारी के समय सी.एम. रिलीफ फण्ड, पी.एम. केयर्स फण्ड, इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी आदि में 12,61,000 रूपये दिया एवं ट्रस्ट में 1,11,111 रूपये दिया गया है।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में 181 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से 80 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय हैं। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 110 कर्मचारी रखा जाना प्रस्तावित है, जिसमें अधिक से अधिक कर्मचारी स्थानीय रखा जाना प्रस्तावित है।

vii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सूचना का प्रकाशन अखबार में किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न किया गया है।

viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (क्षमता सहित) को ले-आउट में दर्शाते हुए ले-आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ पठनीय प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बावत् एवं मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को वापस के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बावत् तथा कुल

क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों की कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों के विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव अनुसार प्रथम वर्ष में 5 लाख, द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में 4 लाख प्रतिवर्ष तथा पंचम वर्ष में 3 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4100	2%	82	Under existing CER work total investment Rs. 79,62,111/-	
			Under proposed CER work following activities at nearby, 3 Government schools	
			Plantation with fencing	20.00
			New toilet construction work	
			Water harvesting system	
			Potable drinking water facility	
			Medical camps	2.00
			Total	**22.00**
			Grand Total	**101.62**

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला [illegible], (2) शासकीय प्राथमिक शाला [illegible] एवं (3) शासकीय प्राथमिक शाला [illegible] में किया जाएगा।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्यों (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थानों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स मंगल स्पात एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलपहरी एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 6.5 एकड़ में इन्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तद्नुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1446)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57836/2020, दिनांक 28/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57836/2020, दिनांक 02/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 543/4, 543/5, 543/11 एवं 543/14, कुल क्षेत्रफल–2.813 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनविरो इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली यादव एवं श्री कृष्णदेव पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इन्वायरोटेक सिस्टम एण्ड एनालिटिक्स, लखनऊ द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इन्वायरोटेक सिस्टम एण्ड एनालिटिक्स द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। मेसर्स इन्वायरोटेक सिस्टम एण्ड एनालिटिक्स

के पत्र दिनांक 07/22/2021 द्वारा द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु एकत्रित बेसलाईन डाटा पूर्ण रूप से सत्य होगा एवं एकत्रित बेसलाईन डाटा की जवाबदारी लेते हुये शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मेसर्स इनवायरोटेक सिस्टम्स एण्ड इनस्टिटिक्स द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण सलाहकार (NABET Accredated) को परिवर्तन करने हेतु अनापत्ति संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स एनिविरो इनफ्राटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरप्रदेश को आगामी कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण मेसर्स एनिविरो इनफ्राटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 01/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (भू.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4131/खनि 22/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 09/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1041/ख.लि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य 42 खदानें, क्षेत्रफल 60.359 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1040/ख.लि./तीन–6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि श्री [illegible] आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/उ.प./2020/657 रायपुर, दिनांक 19/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4571/खनि 02/उ.प.–अनुलिपि/न.क्र.50/2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28/10/2021 द्वारा एल.ओ.आई. में विस्तार वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 17/08/2022) हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि.अ./खा./718 रायपुर, दिनांक

08/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सगपुरी 750 मीटर, स्कूल बस्ती 920 मीटर एवं अस्पताल स्थित 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी. एवं सहायक नदी 21.8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,58,243 टन माईनेबल रिजर्व 5,75,581 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,46,802 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,324 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,289 घनमीटर एवं मोटाई 0.25 मीटर है, जिसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16.7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 3,277 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग, रॉक ब्रेकर का उपयोग एवं कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,983	षष्ठम	37,584
द्वितीय	14,989	सप्तम	37,513
तृतीय	38,012	अष्टम	38,019
चतुर्थ	37,914	नवम	37,891
पंचम	37,761	दशम	37,855

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.26 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बावत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,524 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000	2,40,000

निराकरण हेतु जल निकास, पहुँच मार्ग की लम्बाई 500 मीटर						
खदान के बाउन्ड्री एवं पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (1,524 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	83,850	7,800	7,800	7,800	7,800
	फेंसिंग हेतु राशि	1,21,950	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000
रैम्प एवं लीज रोड के रख-रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के क्लोजर हेतु कंटिंजेंसी		5,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000	2,45,000
कुल राशि = 46,93,000		13,37,000	8,39,000	8,39,000	8,39,000	8,39,000

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 15/10/2020 से 31/01/2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu g/m^3$) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu g/m^3$)	Maximum ($\mu g/m^3$)	CPCB Standard ($\mu g/m^3$)
$PM_{2.5}$	33.98	46.57	60
PM_{10}	66.36	87.5	100
SO_2	10.12	15.73	80
NO_2	19.03	31.54	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये डेटा अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)

Day L_{eq}	50.6	54.4	75
Night L_{eq}	39.7	43	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 8,372 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.554 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 30 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात कुल 8,368 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.558 होगी। विकास के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वहन क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 23/07/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/08/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान के आस–पास प्रतिदिन हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है, जबकि समीप में घनी आबादी क्षेत्र है, जिसकी आवाज आस–पास के ग्राम तक जाती है। इसके कारण पूर्व में गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। शासन के नियमानुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए।

ii. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। क्रशर के कारण प्रदूषण होता है। क्रशर से उत्सर्जित डस्ट को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावे।

iii. पर्यावरण संरक्षण हेतु केवल 10–20 नग पौधों का ही रोपण कार्य किया जाकर औपचारिकता पूर्ण की जाती है। वृक्षारोपण कर उसके रख–रखाव पर ध्यान दिया जावे एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जावे।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। गांव के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जावे। परियोजना में श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण एवं बीमा की सुविधाएं उपलब्ध करायी जावे।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुमति उपरांत नियंत्रित वातावरण में वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग किया जाएगा एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ब्लास्टिंग का स्तर सामान्य रहेगा।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही खनिजों के परिवहन

हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को तारपोलिन से ढंक कर ले जाया जायेगा।

13. लीज क्षेत्र एवं पहुंच मार्गों में सुरक्षा घेरा सहित पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत् वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

14. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी एवं उनके सुरक्षा उपकरण, बीमा आदि उपलब्ध कराया जावेगा। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

15. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 42 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 5.82 कि.मी.		14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000	14,40,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,614 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवित दर) एवं फेंसिंग हेतु राशि	11,32,800	13,800	13,800	13,800	13,800
	खाद हेतु राशि	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700	1,30,700
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	6,12,500	6,12,500	6,12,500	6,12,500	6,12,500
इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half Yearly)		1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000	1,60,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000	20,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प्स और डिस्पेंसरी		6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000	6,00,000
कुल राशि = 2,59,04,000		**60,76,000**	**49,57,000**	**49,57,000**	**49,57,000**	**49,57,000**

कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
वृक्षारोपण हेतु	44,000	18,000	18,000	18,000	18,000
इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half Yearly)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
हेल्थ चेकअप कैम्प्स और विजिटर्स	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
कुल राशि = 6,11,000	**1,43,000**	**1,17,000**	**1,17,000**	**1,17,000**	**1,17,000**

30. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

31. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.05	2%	2.01	Following activities	

			Plantation with fencing around PANKHATTI TALAB in Village-Dhansuli & 5 year AMC	5.74
			Total	5.74

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ आम के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 110 नग पौधों के लिए राशि 22,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,50,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,24,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 248, क्षेत्रफल 2.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। अतः समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि 5,74,000 रूपये आवंटित होने के कारण ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

22. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1041/ख.लि./तीन-6/2020 रायपुर, दिनांक 16/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य 42 खदानें, क्षेत्रफल 85.359 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-धनसुली) का क्षेत्रफल 2.813 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धनसुली) को मिलाकर क्षेत्रफल 88.172 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय,

भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र के उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन्स), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.613 हेक्टेयर, क्षमता–38,018 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि 5,74,000 रूपये को डबरी पचरी निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन्स), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.613 हेक्टेयर, क्षमता–38,018 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "डबरी पचरी निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत की सहमति अनुसार स्थानीय स्थान (खसरावार विवरण सहित) की जानकारी/दस्तावेज का उल्लेख करते हुये सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने की सूचना एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) को खदान से समीपस्थ ग्राम के तालाब के नजदीक शासकीय भूमि में डबरी पचरी निर्माण हेतु सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को सूचित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

6. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थानों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जित होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 80 प्रतिशत जीवित दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 873, दिनांक 29/08/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/09/2022 के माध्यम से सी.ई.आर. के अंतर्गत "[illegible]" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार उपयोगिता स्थान (खसरावार विवरण सहित) की जानकारी/दस्तावेज का उल्लेख करते हुये सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 5,74,000 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

(क) उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. 873, दिनांक 29/08/2022 के बिंदु क्रमांक 2 में मुझे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी के पालन में 5,74,000 रूपये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया है जो मुझे मान्य नहीं है। इस संदर्भ में दिनांक 16/09/2022 को मेरे एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज संघ के द्वारा अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छ.ग. के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों को रखा गया:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F. No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी मद में परियोजना की लागत का अधिकतम 2 प्रतिशत राशि खर्च करने हेतु बाध्य है।
2. उक्त ऑफिस मेमोरेंडम में कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी मद की राशि को शासन के किसी भी खाते में जमा कराए जाने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का स्पष्ट निर्देश नहीं है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F. No. 22-65/2017-IA.III दिनांक 30/09/2020 के अनुसार कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी मद की राशि को पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत खर्च किए जाने का निर्देश दिया गया है।
4. मेरे प्रकरण में परियोजना की लागत 100.05 लाख है इसका 2 प्रतिशत 2.01 लाख रूपये होता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान मेरे द्वारा समिति के समक्ष 2.01 लाख रूपये की तुलना में 2.08 लाख रूपये कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी के तहत् शासकीय प्राथमिक शाला धनपुरी में खर्च करने का प्रस्ताव प्रस्तुत

किया गया था, जिसे अमान्य करते हुए समिति के द्वारा परियोजना लागत का 5.74 प्रतिशत राशि के रूप में 5,74,000 रूपये को 5 वर्षों में खर्च करते हुए ग्राम धनगुली में विद्यालय में वृक्षारोपण एवं 5 वर्षों तक देखभाल किए जाने का निर्देश दिया गया एवं बाद में वृक्षारोपण के उक्त प्रस्ताव को भी अमान्य करते हुए 5,74,000 रूपये को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने का निर्देश जारी कर दिया गया। यह निर्देश भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी नियमों के अनुसार नहीं है। नियम से अधिक अतः 5,74,000 रूपये 5 वर्षों में खर्च करना या एकमुश्त एकाउंट के रूप में जमा करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है।

(ख) उक्त तथ्यों को सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छ.ग. द्वारा निम्नलिखित मौखिक सहमति प्रदान की गई:–

1. कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के पालन में 5,74,000 रूपये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बैंक खाते में जमा कराने हेतु जारी निर्देश को निरस्त कर दिया जाएगा।
2. कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मद में नियमानुसार परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत राशि के अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में प्रस्तावित राशि 2,08,000 रूपये के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी।

(ग) अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे प्रकरण पर पुनः विचार करते हुए एवं मेरे प्रकरण के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए मुझे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे न्याय देने की कृपा करें –

1. संदर्भित पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 873, दिनांक 29/06/2022 के बिन्दु क्रमांक 2 में जारी निर्देश को निरस्त करने की कृपा करें।
2. मैं सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) मद में नियमानुसार परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत राशि अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में प्रस्तावित राशि 2,08,000 रूपये ही परियोजना संचालन के दौरान ही खर्च करने में समर्थ हो पाऊंगा। मेरे द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् शासकीय प्राथमिक शाला, ग्राम-धनगुली हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न है। संलग्न प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये मुझे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त अन्य 5 शर्तों के संबंध में निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:–

1. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य निर्धारित लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 80 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत समुचित अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, परियोजना प्रस्तावक से सी.ई.आर. हेतु नियमानुसार उचित स्पष्ट विस्तृत प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु नियमानुसार उचित स्पष्ट विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्नुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि–

1. परियोजना प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15/09/2022 में लिया गया आरोप निराधार तथा भ्रामक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तृत सी.ई.आर. प्रस्ताव में कमियों की पूर्ति करने से बेहतर सी.ई.आर. की राशि निर्धारित कर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को जमा करने का लिखित मौखिक सहमति दी गई थी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति जल्द से जल्द प्राप्त करने की प्रत्याशा में उपरोक्त का बढ़-चढ़ कर प्रस्ताव दिया था। सदा-सदा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एवं घोषित जानकारी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तथा यह माना जाता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत कथन उनके ऊपर बंधनकारी होगा। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में समिति के ऊपर दोषारोपण कर परियोजना प्रस्तावक अपने प्रभाव तथा पक्ष में निर्णय करवाना चाहता है इस दृष्टिकोण से आवेदन में उल्लेख किये गये तथ्य वास्तविकता से परे है। अतः समिति सर्वसम्मति से इस बाबत् का संज्ञान लेते हुये परियोजना प्रस्ताव के आवेदन का घोर निंदा करती है तथा पर्यावरण संरक्षण के उपायों के लिये प्रचलित कार्य एवं नियम के अधीन यह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती है जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से अधिक से अधिक बचाया जा सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.05	2%	2.001	Following activities at nearby, **Village-Dhansuli**	
			Plantation at Village Pond	2.56
			Total	**2.56**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (ग्राम एवं आसपास) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 48 नग पौधों के लिए राशि 9,600 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,400 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,600 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 66,600 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,89,600 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत धनसुली की सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 246) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक – मेसर्स महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन माईन), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/4, 543/5, 543/11 एवं 543/14 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल रकबा–2.813 हेक्टेयर, क्षमता–38,019 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व बैठक में निर्धारित की गई शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स एस.एम.एस. वाटरग्रेस इन्वायरोप्रोटेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, तहसील–धरसीवां, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 2088)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 57429/2020, दिनांक 13/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 76269/ 2020, दिनांक 29/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत ग्राम–सिलतरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 70/1, 70/2 एवं 70/5, कुल रकबा – 0.623 हेक्टेयर में Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिबैच से 525 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निर्माण व्यय 2.75 करोड़ है।

एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन क्रमांक 2078 दिनांक 22/03/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिबैच से 525 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 23/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री. विनोद मालवीय, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इनवो इन्वायरो टेक एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, गुजरात की ओर से श्री मयन देसाई तथा श्री. धवल नाईक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** उक्त इकाई को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा Common Bio Medical Waste Treatment and Diposal facility of capacity 2 Tonne Per Day हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/04/2024 तक है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा

जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम–सरोरा 1.2 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन रायपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.84 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.34 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एस.एम.एस. वाटरग्रेस इनवायरोप्रोटेक (प्रा.लि.) के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

5. **एरिया स्टेटमेंट –**

Description	Total Area (m²) after proposed expansion	Total Area (%)
Incineration Area	818.64	13.1
Treated Waste Storage Area	172.70	2.8
Sterilisation Area	186.56	3.0
Shredder Area	186.56	3.0
ETP Area	88.00	1.4
Haz. Waste Storage Area	88.00	1.4
Vehicle Wash & Parking	156.56	2.5
Yellow/red/Other Waste Storage Area	337.59	5.4
Parking Area	92.20	1.5
Office & control Room	124.40	2.0
Utility Area	50.00	0.8
Other Area	127.57	2.0
Green Belt Area	2,066	33.0
Road & Open Sky Area	1,779.18	28.6
Total	6,259	100

6. **ट्रीटमेंट कैपेसिटी –**

- **Technical Specifications of Proposed Incinerator**

Incinerator	
Type of Incinerator	"ALFA-THERM" controlled air Oil Fired Incinerator Model BMW-250
Type of Waste	Biomedical Waste
Burning Capacity	250 Kg/hr x 2 Nos. (Proposed additional)
Auxiliary Fuel	Diesel
Type of Burner Operation	Monoblock / Split type fully automatic burners
Temperature Primary Chamber Secondary Chamber	 850 ± 50°C 1050 ± 50°C
Primary Chamber	
Type	Static Solid Hearth
Material of Construction	Mild Steel, 12-15 mm thick
Refractory thickness	300 mm thick
Temperature resistance	1400°C
Insulation thickness	115 mm thick
Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
Waste Charging	Automatic through Hydraulic Ram Pusher
Ash Removal	Manual

Scondary Chamber	
Type	Static Furnace connected to primary furnace
Material of Construction	Mild Steel, 10 mm thick
Refractory thickness	115 mm Thick insulation brick and 115 mm x 2 layer of fire brick
Material	Refractory bricks confirming to IS-8
Temperature resistance	1200°C
Insulation thickness	115 mm
Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
Residence time for flue gases	2 seconds

- **<u>Specifications Of Proposed Autoclave</u>**

Specifications	
Model	Single Hinge Door, Automatic Standard model Vacuum Pump with Condenser, Pressure transmitter along with SS Carriage & Trolley
Capacity	450 L X 2 Nos. (Additional)
Size	500 x 500 x 1000 mm each
Working Parameter	
Chamber Working Pressure	1.05 Kg/Cm^2
Jacket Working Pressure	1.5 Kg/Cm^2
Chamber Working Temperature	121°C
	Hydro Test
Chamber	One & half time the working Pressure
Jacket	Twice the Working Pressure
Chamber and Back plate	The Sterilizing Chamber is fabricated from S.S.304 Quality with full argon welding
Jacket	The jacket is fabricated from M.S Quality
Insulation	Resin Bonded Rock wool insulation of 50mm thickness
Sensor	PT 100 sensors are used for PLC and manual control
Manual Backup	The Control System is provided with a manual backup in case of PLC Failure. Here all Valves, Pumps, etc. can be operated with individual Switches.

- **<u>Specifications of Proposed Shredder</u>**

Specifications	
Nos.	4 (Additional)
Capacity	250 Kg/hr
Blades	Combined Hook/Shear Blades
Safety Features	a. Auto Reverse System b. Interlocks to avoid aerosolizing c. Low Noise, Non Ballistic d. Auto Shut Off

7. प्रस्तावित एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन संबंधी विवरण:–

Facility Name	Existing Capacity	Proposed Expansion Capacity	Proposed Capacity After Expansion
Incinerator	1 x 250 Kg/hr	2 x 250 Kg/hr	3 x 250 Kg/hr
Autoclave	1 x 175 Liter/Batch	2 x 450 Liter/Batch	1 x 175 + 2 x 450 Liter/Batch
Shredder	2 x 250 Kg/hr	4 x 250 Kg/hr	6 x 250 Kg/hr
Chemical Disinfection Unit	1 x 500 Kg/hr	1 x 2,000 Kg/hr	1 x 500 + 1 x 2,000 Kg/hr

8. हानिकारक एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Hazardous & Solid Waste Management					
CAT. NO.	Type of Hazardous And Other Waste	Source	Total Quantity Generated for Proposed expansion (Kg/Day)		Method of Disposal
			Existing	Proposed	
36.2	Ash	Incinerator	250	1,000	Sent to CHWTSDF site/secured landfilling
34.3	ETP Sludge	ETP area	70	200	Sent to CHWTSDF site/secured landfilling
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	800	2,200	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	420	1,250	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	50	150	Sent to foundry for metal recovery / TSDF site
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	As generated	As generated	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries	-	As generated	As generated	Sent to Authorized Recyclers
Non-Hazardous Waste					
-	ETP Sludge	From ETP	As generated	As generated	Reused as manure in gardening

9. जैव अपशिष्ट प्रबंधन –

S.No.	Category	Types of Waste	Collection method
01	Yellow	Human Anatomical Waste	Yellow coloured non-chlorinated plastic bags
		Animal Anatomical Waste	
		Soiled Waste	
		Expired Discarded Medicines	
		Chemical Waste	
		Chemical Liquid Waste	
		Discarded linen mattress, Building contaminated with blood or body fluid	
		Microbiology, Biotechnology and other clinical laboratory waste	
02	Red	Contaminated waste (recyclable)	Red coloured non-chlorinated plastic bags
03	White	Waste Sharps	Puncture proof, leak proof, tamper proof containers
04	Blue	Glass wares, metallic body implants	Cardboard boxes with blue coloured marking

पीले श्रेणी के अपशिष्ट को इन्सिनेरेटर में भेजकर उसका उपचार किया जाता है। उपचार उपरांत अवशिष्ट ऐश को टीएसडीएफ को प्रदाय किया जाता है। लाल श्रेणी के अपशिष्ट को ऑटोक्लेव उपरांत श्रेडर में भेजा जाता है। श्रेडिंग से प्राप्त अपशिष्ट को अधिकृत रिसायकलर को प्रदाय किया जाता है। सफेद श्रेणी के अपशिष्ट को श्रेडिंग में उपचार कर सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिसइन्फेक्शन किया जाता है। डिसइन्फेक्शन उपरांत प्राप्त दूषित जल को

इटीपी में भेजा जाता है। कलेक्टेड बेल्ट से आउटलेट को ओटोक्लेव/स्टेरिलाइजेशन उपरांत श्रेडर में भेजा जाता है। श्रेडिंग से प्राप्त आउटलेट को अधिकृत रिसायकलर/मेटल रिकवरी ईकाई/टीएसडीएफ को प्रदाय किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनायी जाएगी।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 14.8 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 0.5 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 0.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 13.6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 56.8 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 6.7 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 48.1 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनायी जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में परियोजना से औद्योगिक दूषित जल कुल 6.1 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होता है। क्षमता विस्तार उपरांत उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 22.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 20 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 02 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 25 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार उपरांत जल का उपयोग फ्लशिंग, डस्ट सप्रेशन आदि में उपयोग किया जाएगा। ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोक्यूलेटर, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट केमिकल की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित है। ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उपचारित दूषित जल को पुन रिसाईकल कर उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 4,088 घनमीटर है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रेक्टेंगुलर आर.सी.सी. टैंक (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित पिजोमीटर से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। अतः स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – स्थापित एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

Facility Name	Pollution Control System		
	Fuel	Equipment	Stack height (in M)
Incinerator Existing (1 x 250 Kg/hr)	Diesel/LDO	APC Consisting of Venturi & Packed Bed Scrubber	30
DG Set Existing (1 x 100 KVA)	Diesel/LDO (30 Lit/Hr)	Stack attached to DG set	3
Incinerator Proposed	Diesel/LDO	APC Consisting of Gas Quencher Ventury Scrubber, Packed Bed Scrubber along with stack	30
DG Set Proposed (2 x 100 KVA)	Diesel/LDO (30 Lit/Hr)	Stack attached to DG set	3

वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर, नाईट्रोजन ऑक्साईड्स का उत्सर्जन 400 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर, एच.सी.एल. 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। अतिरिक्त चिमनी की स्थापना प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव धूल उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

12. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।

13. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – क्षमता विस्तार उपरांत 250 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु वर्तमान में 100 केवीए का 1 नग डी.जी. सेट स्थापित है। क्षमता विस्तार उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अतिरिक्त 100 केवीए का 1 नग डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2,098 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त समीपस्थ खाली एरिया में 430 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 380 नग पौधों के लिए राशि 2,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष के लिए कुल राशि 4,90,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों के लिए कुल राशि 11,10,000 रूपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 7 स्थानों पर सतही जल

गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_x$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	28	66	60
PM_{10}	59	106	100
SO_2	3	17.1	80
NO_2	10.2	24.3	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, क्रोमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level : dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	43.6	72.3	75
Night L_{eq}	35.7	65.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 11/11/2021 प्रातः 10:30 बजे स्थान –सी.एस.आई.डी.सी. भवन के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेस–II सिलतरा, जिला–रायपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य की सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत उपयुक्त स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्थापित एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार में कितनी वृद्धि होगी स्पष्ट रूप से बताया जाए।
3. ठोस अपशिष्ट (सीडी श्रेणी, डस्ट श्रेणी, चीठे श्रेणी, सर्वेद श्रेणी) की प्रतिदिन मात्रा एवं भंडारण क्षमता की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों एवं डी.जी. सेट तथा कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए।
5. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना समयसीमाबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से लिए जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोलॉजिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे एवं उनके सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। स्थानीय ग्रामीणों को योग्यतानुसार रोजगार देने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बायोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
11. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
12. स्थापित एवं क्षमता विस्तार उपरांत भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
13. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "सघन वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत वनारोपण स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का चरणबद्ध एवं समयबद्ध व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार की गणना का जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार

   - वर्तमान में स्थापित इकाई से कुल प्रदूषण भार 41.38 किलोग्राम प्रतिदिन (पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन, एस.ओ.एस. का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन तथा एन.ओ.$_{x}$ का उत्सर्जन 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 33.08 किलोग्राम प्रतिदिन) है।

   - क्षमता विस्तार उपरांत कुल प्रदूषण भार 106.31 किलोग्राम प्रतिदिन (पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 6.22 किलोग्राम प्रतिदिन, एस.ओ.एस. का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 10.48 किलोग्राम प्रतिदिन तथा एन.ओ.$_{x}$ का उत्सर्जन 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के आधार पर 83.84 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी।

   - यह उद्योग क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया के अंतर्गत आता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की मात्रा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु प्रदूषण भार की मात्रा के समान या उससे कम होने पर ही विचार किया जाना संभव है। अतः उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुये क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार की पुनः गणना का संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 31/10/2019 में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"Any project or activity specified in Category B1 will be appraised at the Central Level, if located in whole or in part within 5 km from the boundary of Critically Polluted Areas or Severely Polluted Areas. However, Category B2 projects shall be considered at state level stipulating Environmental Clearance conditions as applicable for the Category 'B1' project/activities."

- उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर संशोधन जारी करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/12/2019 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"In respect of the cases where partial deliberations or complete deliberations were made by SEAC or UTEAC, as the case may be (Class- II), the deliberation may be completed keeping in view of the additional conditions by the SEAC or UTEAC, as the case may be, and sent to the ministry for comments. If the comments were not received within 15 days from the communication, may be deemed as accepted and disposed based on the recommendations of the SEAC.

In respect of the cases where applications were received but not yet taken for SEAC/UTEAC (Class-III), may be transferred to Ministry for dealing at Central level as per the OM dated 31st October, 2019."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/01/2021 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"In view of the orders of the Hon'ble Supreme Court, the two Office Memoranda of even number dated 31st October 2019, and 30th December 2019 are hereby kept in abeyance."

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2022 को "Lifting of abeyance on Ministry's OMs, in pursuance to the Order dated 25/02/2022 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeals Nos. 2218-2219 of 2020 in the matter of Chamber of Small Industry Associations Vs Central Pollution Control Board & Others with Civil Appeal Nos. 2220- 2221/2020, 2434/2020, 2462/2020, 3318-3321/2020 & 1656-4658 of 2022 regarding." हेतु ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"The Member Secretaries of concerned EACs/SEACs shall ensure that the environmental safeguards prescribed in the above said OMs, shall be explicitly stated in the Environmental Clearance (EC) letters for the projects/activities located in CPAs and SPAs."

- अतः उपरोक्त ऑफिस मेमोरेण्डमों के आधार पर आवेदित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) मंगाया जाना आवश्यक है।

4. जैव अपशिष्ट की कुल मात्रा 6 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी, जिसमें से पीले श्रेणी के जैव अपशिष्ट मात्रा 3.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन, लाल श्रेणी के जैव अपशिष्ट मात्रा 1.8 मीट्रिक टन प्रतिदिन एवं जैव अपशिष्ट मात्रा 0.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। प्रत्येक श्रेणी के जैव अपशिष्ट के भंडारण हेतु 1124 कंटेनर रखा जाएगा।

5. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग के विभिन्न इकाईयों एवं डी.जी. सेट का प्रस्तुत ले-आउट प्लान पठनीय नहीं है तथा कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना समयसीमाबद्ध रूप में अंग्रेजी (tabular form in English) में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सिर्फ 3 व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ही उल्लेख है एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. परियोजना की स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 18/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से किए जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोलॉजिकल प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

10. वर्तमान परियोजना में 60 व्यक्ति एवं प्रस्तावित परियोजना में अतिरिक्त 70 व्यक्ति इस प्रकार कुल 130 व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे एवं उनके सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। स्थानीय ग्रामीणों को योग्यतानुसार रोजगार देने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

11. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

12. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. स्थापित एवं क्षमता विस्तार उपरांत भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "सघन वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत उपयुक्त स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा सम्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुये क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार की पुनः गणना कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित परियोजना में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत उपयुक्त स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिकृत सिफारिशों के आधार पर आरोपित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) मंगाया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा पाया कि, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार "Self-certified six monthly Compliance Report for the latest CTO shall be sufficient if the project proponent applies for expansion within a period of one year from the grant/renewal of CTO. If such application is submitted beyond the period of one year from the grant/renewal of CTO, CCR shall be required for the latest CTO." है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार स्वप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **प्रदूषण भार की गणना** – वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन, एस.ओ.एक्स. का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.15 किलोग्राम प्रतिदिन तथा एन.ओ.$_{x}$ का उत्सर्जन 400 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 33.09 किलोग्राम प्रतिदिन (इस प्रकार कुल 41.39 किलोग्राम प्रतिदिन) होता है। क्षमता विस्तार उपरांत दोनों चिमनियों से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.84 किलोग्राम प्रतिदिन, एस.ओ.एक्स. का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 4.84 किलोग्राम प्रतिदिन तथा एन.ओ.$_{x}$ का उत्सर्जन 200 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार प्रदूषण भार 31.02 किलोग्राम प्रतिदिन (इस प्रकार कुल 40.30 किलोग्राम प्रतिदिन) होना प्रस्तावित है।

3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना समयबद्ध प्रारूप अंग्रेजी (tabular form in English) एवं हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. गांव के विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करें। साथ ही एक ऐसी समिति बनाई जाए जिसमें सरपंच या जनप्रतिनिधि के द्वारा गांव से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं से अवगत कराया जा सके।

   ii. पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. गांव के प्रगति के लिए कार्य किया जाएगा एवं ग्रामवासियों को इससे अवगत भी कराया जाएगा।

   ii. सी.ई.आर. के माध्यम से आस–पास के गांवों में पर्यावरण विकास हेतु कार्य किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

4. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रस्तावित परियोजना में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्लांट में कार्य के दौरान श्रमिकों को पी.पी.ई. (हेलमेट, मास्क, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज, चश्मा आदि) उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमित हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा "we will carry out 6 monthly health chek-up for workers of the plant and people of surrounding area of project site to check allergy or pathogenic effect." हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,311 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक वॉटर रिचार्ज टैंक (क्षमता 18.5 घनमीटर एवं क्षमता 50 घनमीटर) निर्मित किया गया है। स्थापित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्षमता उपरांत भी अपनाई जाएगी।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at nearby	
			Pavitra Van Nirman in **Village-Siltara**	4.50
			Solar LED Street Lights (60 W)	0.30
			Rain Water Harvesting System at Siltara Gram Panchayat Office	0.60
			Potable Drinking Water Facility at Siltara Vidhyalaya	0.10
			Total	**5.50**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, कटहल, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 176 नग पौधों के लिए राशि 1,08,880 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई

तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,13,400 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,29,960 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,20,040 रूपये हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिलतरा से सहमति प्रस्तुत की गई है।

8. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1636, दिनांक 09/12/2022 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डमों के आधार पर आवेदित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से टिप्पणी (Comment) चाहे जाने बाबत् पत्र लेख किया गया है। उक्त के संबंध में आज दिनांक तक टिप्पणी (Comment) अप्राप्त है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/12/2019 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में "If the comments were not received within 15 days from the communication, may be deemed as accepted and disposed based on the recommendations of the SEAC." का उल्लेख है। उपरोक्तानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स एस.एम.एस. वाटरग्रेस इनवायरोटेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के समीप, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 70/1, 70/2 एवं 70/5, कुल क्षेत्रफल – 0.623 हेक्टेयर में Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Incinerator क्षमता – 250 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 750 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 175 लीटर प्रतिबैच से 625 लीटर प्रतिबैच, Shredder क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 1,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा एवं Chemical Disinfection Unit क्षमता – 500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा से 2,500 कि.ग्रा. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **परिशिष्ट–02** में उल्लेखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स धनेश स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री इन्द्रजीत [illegible]), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1621)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/67850/2021, दिनांक 24/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर खदान (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 226, कुल क्षेत्रफल–0.25 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–963.75 टन (385.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इन्द्रजीत भारद्वाज, एनवायरमेंट कंसल्टेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में जारी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 226, कुल क्षेत्रफल– 0.25 हेक्टेयर, क्षमता– 388.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुन्द द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन दिनांक 25/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	165
01/07/2018 से 31/12/2018	135
01/01/2019 से 30/06/2019	195
01/07/2019 से 31/12/2019	140
01/01/2020 से 30/06/2020	निरंक
01/07/2020 से 31/12/2020	345

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बहनाव का दिनांक 30/07/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एवं सिव क्वारी क्लोजर प्लान विद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1748/ख/खा.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 01/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 40.35 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1262/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। वर्तमान में लीज श्री [illegible] के नाम पर है। लीज अवधि 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/05/2009 से 19/05/2019 तक थी। तत्पश्चात् लीज अवधि में 20 वर्षों की, दिनांक 20/05/2019 से 19/05/2039 तक की अवधि वृद्धि की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज [illegible] कुमार [illegible] के नाम पर थी। अतः लीज हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/812 महासमुन्द, दिनांक 28/02/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 0.57 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल बिरकोनी 2.8 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.65 कि.मी. दूर है। महानदी 240 मीटर, तालाब 270 मीटर एवं बरसाती नाला 130 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खदान प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 32,328 टन (12,930 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 9,676 टन (3,870 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 7,256 टन (2,902 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 11,550 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 2,490 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,278.90 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022–23	385.90
2023–24	385.90
2024–25	385.90
2025–26	385.90
2026–27	385.90

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.14 घनमीटर प्रतिदिन होगी है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है।

हुये बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 298 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अधीन वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये चिन्हित क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बावनकेरा, घोंघारी एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 96 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोंघारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसके राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बावनकेरा एवं घोंघारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोंघारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 26 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 96 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) जिसमें स्तंभ की संख्या प्रदर्शित हो का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।
6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी चालान दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।

7. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा पाया गया, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि "ग्राम पंचायत की अनापत्ति विशेष कारण एवं विशेष उद्देश्य के लिए जारी किये जाने के पश्चात् किसी भी विभाग की कार्यवाही हेतु पुनः अद्यतन अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होती है।" साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति पुनः प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 743/क/खलि./उ.प. 60/2008 महासमुंद, दिनांक 08/04/2011 द्वारा लीज होल्ड श्री शिव कुमार साहू से श्री इंद्रजीत चंद्राकर के नाम पर हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज बाउण्ड्री स्तंभ (boundary pillars) के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। सभी स्तंभों के फोटोग्राफ्स एवं उनकी संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः समिति का मत है कि लीज बाउण्ड्री के सभी स्तंभों के फोटोग्राफ्स एवं उनकी संख्या प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी हेतु शपथ पत्र दिनांक 20/04/2011 का प्रस्तुत किया गया है।
7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 08 खदानें, क्षेत्रफल 40.35 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कनकपुर) का रकबा 0.25 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कनकपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the latest NOC of Gram Panchayat for mining.

v. Project proponent shall submit the photographs of all pillars with number all along the lease boundry.

vi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

6. मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्रीमती मंजू अग्रवाल), ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1742)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220855 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1528, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 2,106 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 28/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **तत्समय सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible] अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   - i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1528, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर, क्षमता–1,047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष हेतु जारी की गई।
   - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 47/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 15/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017 तक	216
2018	378
2019	819

iv. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 13/02/2017 से दिनांक 12/02/2020 (3 वर्ष) हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिनांक 31/12/2019 तक उल्लेख है। अतः दिनांक 12/02/2020 तक किये गये उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत किया गया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक 11/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 602/खनिज/खलि.2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 05/12/2020 के के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.868 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी उसी सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु डोमेसिलिएरिटी निर्धारण क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3388/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती मंजू अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 13/02/2009 से 12/02/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षो अर्थात् दिनांक 13/02/2019 से 12/02/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./61/2009 अम्बिकापुर, दिनांक 16/01/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-देवीपुर 0.68 कि.मी., स्कूल ग्राम-देवीपुर 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 3.66 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.15 कि.मी. दूर है। तालाब 0.37 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 56,568 टन, माईनेबल रिजर्व 21,637 टन एवं निकालनेयोग्य रिजर्व 19,473 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,697 घनमीटर है, जिसमें से 1,515 घनमीटर उत्खनन किया जा चुका है, जिसे सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया गया है, तथा शेष ऊपरी मिट्टी 1,182 घनमीटर को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि पर अस्थायी रूप से संग्रहित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं क्रशर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जेक हैमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,106	षष्ठम	1,909
द्वितीय	2,058	सप्तम	1,966
तृतीय	2,083	अष्टम	1,629
चतुर्थ	1,811	नवम	2,001
पंचम	1,942	दशम	1,776

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.26 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 420 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.08	2%	0.27	Following activities at Government Primary School **Village-Devipur**	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Plantation	0.05
			Total	**0.50**

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी उसी सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस खनिज क्षेत्र में विचाराधीन खदान की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को

(क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 एवं 20/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 47/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 15/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017 तक	216
2018	378
2019	819

साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनि निरीक्षक द्वारा जारी एकीकृत रिटर्न फॉर्म–'V' की प्रति अनुसार दिनांक 01/01/2020 से 30/06/2020 तक की अवधि में कुल 258 घनमीटर उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही दिनांक 12/02/2020 के उपरांत किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 11/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे दिनांक 23/09/2022 द्वारा नोटराईज्ड करवाकर सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 08/12/2020 के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.868 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 04/04/2022 द्वारा प्रभारी खनि अधिकारी से सत्यापित करवाकर प्रति प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.08	2%	0.27	Following activities at Government Primary School, **Kawanrpara, Village-Devipur**	
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.54
			Total	**0.69**

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 250 रुपये, खाद के लिए राशि 625 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,875 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,800 रुपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 943/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 10/05/2022 द्वारा "खसरा नंबर 1529/1 रकबा 3.437 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर क्षेत्र पर ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, हल्कापटवारीरिपोर्ट का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं बी–1 नक्शा खसरा पांचसाला अनुसार 1529/1 में से 0.405 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज विभाग सूरजपुर द्वारा स्वीकृत है। लीज अनुबंध पत्र त्रुटिवश लिखा जाने में 1529 लिखा है उसकी जगह पर 1529/1 पढ़ा जावे।" हेतु पत्र जारी किया गया है। अतः समिति द्वारा **"खसरा क्रमांक 1529 के स्थान पर खसरा क्रमांक 1529/1"** किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग (कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा) से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही दिनांक 12/02/2020 के उपरांत किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ड) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3928/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 23/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 01/01/2020 से 12/02/2020 तक कुल 158 घनमीटर उत्खनन किया गया है एवं दिनांक 12/02/2020 के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति समाप्त होने के कारण उत्खनन कार्य बंद है।
2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं सर्वेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 06/12/2020 के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.868 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–देवीपुर) का क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–देवीपुर) को मिलाकर कुल रकबा 4.273 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्रीमती मंजू अग्रवाल) को ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1529 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर, क्षमता – 2,108 टन (क्रश मटेरियल) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री अटल कुमार गोटवानी (जोरातराई आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1842)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242266/2021, दिनांक 08/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी किये गये टी.ओ.आर. में पुनर्विचार करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने बाबत् दिनांक 27/12/2022 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 142(पार्ट), 143(पार्ट), 144(पार्ट), 146(पार्ट), 147(पार्ट), 148, 149, 150, 153(पार्ट) एवं 154(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 119, दिनांक 28/04/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी किये गये टी.ओ.आर. में पुनर्विचार करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने बाबत् दिनांक 27/12/2022 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. सत्येन्द्र पाण्डे वि. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली व 2 अन्य के प्रकरण में भी माननीय एन.जी.टी. ने B2 Category की उत्खनि पट्टों को, जो 500 मीटर की सीमा में आते हों और जिनका कुल क्षेत्र 5.00 हे. से अधिक हो, बी–1 करने हेतु निर्देशित किया है, परन्तु तथ्य यह कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने विभिन्न आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि कलस्टर की गणना हेतु केवल उन्हीं खदानों को लिया जाना है जो दिनांक 09/09/2013 के बाद स्वीकृत की गई हों। चूंकि संबंधित आवेदित खदान हेतु खनिज विभाग द्वारा जारी 500 मीटर कलस्टर रिपोर्ट के अनुसार इसकी 500 मीटर के दायरे में दिनांक 09/09/2013 के बाद स्वीकृत कोई उत्खनि पट्टा अवस्थित नहीं है अतः यह उत्खनि पट्टा B2 Category के तहत् ही विचार किया जाना चाहिए। अतः प्रकरण पर जारी टी.ओ.आर. के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु पुनर्विचार किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

2. पूर्व में राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 की अनुशंसा के आधार पर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1505/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 905/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05/09/2022 द्वारा मार्गदर्शन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में पत्र प्रेषित किया गया है:–

   i. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13/09/2018 के परिपालन हेतु 5 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र एवं समूह (क्लस्टर) स्थिति में क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टी को छूट दी जानी है?

   ii. क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टी या खदान अनुज्ञप्तियों (लाईसेंस) को क्लस्टर की गणना में शामिल करना है अथवा नहीं? तथा उनके लिए इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट (ई.आई.ए.), इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (ई.एम.पी.) तथा जन सुनवाई आवश्यक है अथवा नहीं?

   iii. क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टी (लीज) या खदान अनुज्ञप्तियों (लाईसेंस) को कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (सी.ई.एम.पी.) में शामिल करना है अथवा नहीं?

   उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13/09/2018 के अनुसार ही ई.आई.ए./ई.एम.पी. तैयार किये जाने हेतु टी.

ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स नव दुर्गा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (अभिलेख का नस्ती क्रमांक 1878)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 246080/ 2021, दिनांक 20/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 436/2, 423/1, 429, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल – 1.18 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इनगट्स/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,800 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग फर्नेस सहित मैकेनिकल्ड आधारित रोलिंग मिल (टी–एमटी प्रोडक्ट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,800 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनिवेश की कुल लागत 9.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश पाण्डे, ऑपरेटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा री–रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑपरेशन/स्टील क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्टील इनगट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/11/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/11/2024 तक की अवधि हेतु है।
   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी सिलतरा 1 कि.मी. एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 8.4 कि.मी. दूर है।

- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है–

Particular	Area (in Sq.m.)	Area (%)
Induction Furnace Area	1,200	10.42
Rolling Mill Area	2,550	22.14
Finished Good Area	700	6.08
Raw material Yard	900	7.81
Parking Area	750	6.51
Road Area	800	6.94
Green Belt Area	4,620	40.10
Total	**11,520**	**100**

4. **रॉ–मटेरियल** –

For Induction Furenace			
Raw Material	**Existing Quantity (TPA)**	**After Expansion Quantity (TPA)**	**Mode of Transport**
Sponge Iron	24,425	48,500	By Road through covered trucks
Scrap	7,517	15,000	
Ferro Alloys	320	680	
For Rolling Mill			
Billets	30,000	59,900	In house

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

Particular	Existing	After Expansion
Unit	Induction Furnace (1x10 TPH) Reheating Furnace (1x10TPH)	Induction Furnace (2x10 TPH) Reheating Furnace (1x10 TPH)
Working Hour	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 10 Hrs	Induction Furnace 24 Hrs Reheating Furnace 24 Hrs
Production	Billet 30,000 TPA Rerolled Product 30,000 TPA	Billets 59,900 TPA Rerolled Product 59,900 TPA
Coal Requirement	3,000 TPA	5,672 TPA

Note: Existing reheating furnace based rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing number of working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 24 Hrs per day.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि-हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पीटीएफई बैग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी की ऊंचाई यथावत् रहेगी। चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य

घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स ऐंगल/स्ट्रीप के उत्पादन हेतु 8.1 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत री–रोल्ड के उत्पादन हेतु 17.16 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोजिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे 9,240 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन में कमी होगी। इस व्यवस्था से एस.ओ.$_2$ के उत्सर्जन की मात्रा 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इन्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से स्लेग–1,148 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल–183 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–102 टन प्रतिवर्ष, यूज्ड ऑयल–90 लीटर प्रतिवर्ष, फिल्टर बेस्ट 8 कि.ग्रा. प्रतिदिन एवं ऐश–1 टन प्रतिदिन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इन्डक्शन फर्नेस एवं री–हीटिंग फर्नेस कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से स्लेग– 2,250 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल– 366 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग–600 टन प्रतिवर्ष, यूज्ड ऑयल – 180 लीटर प्रतिवर्ष एवं ऐश–2 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रोसेसिंग में उपयोग किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत रिसाइकलर को विक्रय किया जाएगा। ऐश को स्थानीय ईंट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. से किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, रॉ–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्प, फिल्टर प्रेस, इंटरमीडिएट टैंक, प्रेशर सैण्ड फिल्टर,

एबिटोपेटेड सक्शन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सरण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 80 प्रतिशत दूषित जल का पुनश्चक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 7,807 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अतिरिक्त 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सकें।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 30,287.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से कुल उत्सर्जन की मात्रा 24,789.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोजिंग इकाई स्थापित किया जाएगा, जिससे एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 23,100 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष से कम कर 13,860 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगा। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सरण की स्थिति रखी जाएगी। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपयोगितानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ का भू–गर्भ में रिचार्ज कराना प्रस्तावित है।

10. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर

(volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त नहीं है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 538 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 814 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर 40.1 प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार चरणबद्ध एवं समयबद्ध व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का चरणबद्ध, समयबद्ध व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से लिये जाने हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना की गई है, जो कि उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। जबकि इण्डक्शन फर्नेस में वृद्धि होने के कारण आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) में वृद्धि होना संभावित है। अतः उपरोक्त हेतु पुनः प्रदूषण भार की स्पष्ट गणना कर प्रस्तुत करते हुए एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

4. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनोलिक वेस्ट वॉटर के उपचार / निपटान परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 (यथा संशोधित) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोल गैसीफायर से उत्पन्न फिनोलिक वेस्ट वॉटर हेतु माह जनवरी 2017 को जारी एसओपी (Standard Operating Procedure) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. कुल क्षेत्रफल का 40.1 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 2 प्रतिशत व्यय किया जाए। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्नुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यपालन अभियंता (संभाग–02), छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 08/01/2020 द्वारा जल प्रदाय करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

3. प्रस्तुत प्रदूषण भार में वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (1 X 10 TPH) एवं प्रस्तावित कार्यक्षमता उपरांत इण्डक्शन फर्नेस (2 X 10 TPH) में आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) यथावत् रखकर गणना करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया कि स्थापित चिमनी व्यास में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, प्रदूषण

नियंत्रण हेतु स्थापित स्क्रबर के स्थान पर बैग फिल्टर लगाया जाएगा। अतः उत्सर्जन भार की गणना हेतु आयतन प्रवाह दर (volumetric flow rate) दर्शाना होगी। साथ ही चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने हेतु उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4. वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 22,334.4 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित पीटीएफई बैग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उक्त उत्सर्जन की मात्रा 13,384.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

5. आवेदित प्रकरण में कोल गैसीफिकेशन प्रोसेस के तहत् उद्योग का संचालन किया जाएगा। गैस तापमान 475°C से अधिक रखा जाएगा। पाईप लाईन में एवं गैसीफायर में किसी भी प्रकार का टार फार्मेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस में कोल में निकल कार्बन एवं वोलेटाईल मैटर उपस्थित रहेंगे। गैस हाई कार्बोनिक वैल्यु की होगा। अतः फिनोलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। समिति का मत है कि यदि किसी कारणों (जैसे तापमान में कमी होने, आकस्मिक शट डाउन की स्थिति में, विद्युत अवरोध की स्थिति में इत्यादि) से फिनोलिक वॉटर उत्पन्न होगा, तो संबंध में फिनोलिक वॉटर के उपचार / निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

6. वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 536 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.46 हेक्टेयर (लगभग 40.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 614 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 614 नग पौधों के लिए राशि 1,22,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,200 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 10,74,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 13,81,500 रूपये 5 वर्षों हेतु चरणवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग (9.5 करोड़) का 2 प्रतिशत 19 लाख रूपये का व्यय उद्योग के आस–पास ईको पार्क निर्माण में किया जाना बताया गया है। परन्तु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का चरणवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय वस्तुस्थिति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 5 एवं 8 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सत्यापित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कोल बेस्ड गैसीफायर प्रोसेस का पूर्ण फ्लो चार्ट (with drawing and design) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित गैसीफायर में हॉट गैस फायरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं गैसीफायर से उत्पन्न गैस का कण्डनसेशन नहीं किया जाएगा, जिससे कोई फिनोलिक वॉटर उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी कारण से फिनोलिक वॉटर उत्पन्न होगी तो उसे गैसीफायर में पुनः इन्सर्ट (re-insert) किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
950	2%	19	Following activities at nearby, Village-Sarora	
			Eco Park Nirman	19.04
			Total	**19.04**

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, जामुन, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,000 नग पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,82,500 रूपये, खाद के लिए राशि 12,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि

3,30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,74,800 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,38,400 रूपये हेतु पश्चातवर्ती व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–[illegible], तहसील [illegible], जिला–रायपुर के प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 406/2, क्षेत्रफल 0.383 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 395, क्षेत्रफल 2.51 हेक्टेयर, भू–स्वामी श्री सुरेश पाण्डेय) को 25 वर्षों हेतु लीज में लिए जाने एवं उक्त भूमि पर सी.ई.आर. के अंतर्गत ईको पार्क निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा सम्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।

2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्नुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. के.एम.एल. फाईल सहित वृक्षारोपण की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में कुल 614 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,38,080 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,200 रूपये, खाद के लिए राशि 18,420 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,47,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,88,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,96,000 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु पश्चातवर्ती व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. समिति द्वारा यह पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "स्टील उत्पाद री-रोलिंग इकाईयां या कोल्ड रोलिंग इकाईयां, जिनकी क्षमता 6,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक हो।" को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक है। अतः समिति का मत है कि केवल क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इनगट्स/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाना संभव है। रोलिंग मिल इकाई हेतु पृथक से टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किये जाने के उपरांत ही कार्यवाही किया जाना संभव है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स माँ दुर्गा इस्पात प्राईवेट लिमिटेड को प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर–सी, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 435ए, 423ए, 428, 430, 431 एवं 432, कुल क्षेत्रफल – 1.15 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टीपीएच (1 नग स्थापित एवं 1 नग प्रस्तावित) इण्डक्शन फर्नेस (इनगट्स/बिलेट्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. **मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बरौदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (अभिलेख का नस्ती क्रमांक 1602)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 253866/ 2022, दिनांक 28/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–बरौदा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 1.666 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,400 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग करीब 2.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 466वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से बिलेट, एम.एस. रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 29,500 मीट्रिक

एवं प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/08/2020 को जारी की गई है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम शहर रायपुर 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मंढर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत चरौदा का दिनांक 31/05/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **भू–स्वामित्व** – मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा श्री [illegible] से खसरा क्रमांक 143 एवं 144 कुल रकबा 1.655 हेक्टेयर भूमि को क्रय किया गया है। क्रय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace Area	3,525.15	21.3
2.	Rolling Mill Area	1,324	8.0
3.	Finished Good Area	695.1	4.2
4.	Raw Material Yard Area	761.3	4.6
5.	Parking Area	614.05	5.71
6.	Road Area	761.3	4.6
7.	Greenbelt Area	6,621.65	40.01
8.	Area for Future Expansion	2,247.45	13.58
	Total	**16,550**	**100**

6. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	48,500	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	15,000		
3.	Alloys	650		
For Rolling Mill (Re-rolled Products)				
1.	Billets	59,500	In house	-

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH	Induction Furnace and Rolling Mill (CCM) - 2 x 6 TPH + 1 x 8 TPH
2	Production	29,500 TPA	59,500 TPA
3	Working Hours	12	18

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 2,450 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से यूज्ड ऑयल 140 लीटर प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग क्रेशिंग इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यूज्ड ऑयल को अधिकृत रिसायकलर इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं प्लान्टेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं प्लान्टेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 02/01/2024 तक वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति केंद्रीय ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल स्त्रावित 8,748 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण स्त्रावित को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता में उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 8.874 कि.ग्रा. प्रतिदिन है। प्रस्तावित बैग फिल्टर एवं चिमनी से पर्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उक्त उत्सर्जन की मात्रा 8.532 कि.ग्रा. प्रतिदिन होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्त्रावण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 2,630 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपयोगितानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले पर्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित है एवं इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 0.475 हेक्टेयर (28.72 प्रतिशत) क्षेत्र में 780 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् क्षेत्रफल 0.662 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र

में अतिरिक्त 800 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् संशोधित निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
250	1%	2.5	Following activities at, Government Girls High School **Village- Charoda**	
			Rain water harvesting	1.215
			Water Supply arrangement with 3 year AMC	0.65
			Water tank & pipe line Facility for Toilets	0.45
			Plantation	0.45
			Total	**2.765**

15. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कार्ययोजना, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत जाए।
2. ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि एवं जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होना संभावित है। अतः उक्त के संबंध में स्थापित एवं प्रस्तावित परियोजना हेतु तुलनात्मक प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कार्ययोजना, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. वर्तमान में ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लेग– 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल–150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–600 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जनित होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट के रूप में स्लेग– 1,200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल–150 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–600 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जनित होना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग इकाई को प्रदाय किया जाता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी।
3. प्रस्तावित कार्यकलाप से जल उपयोग की मात्रा में 11 किलोलीटर प्रतिदिन वृद्धि होगी। उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल को कूलिंग हेतु उपयोग किया जाना एवं घरेलू दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचार उपरांत वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जाएगी।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना की कुल विनियोग का 1 प्रतिशत व्यय का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, ट्री गार्ड के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 375 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 33,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 50,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,28,475 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(5) समिति की 446वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से

ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 द्वारा जल एवं वायु सम्मति के पालन में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्मति शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना उल्लेखित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 143 एवं 144, कुल क्षेत्रफल – 1.666 हेक्टेयर में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 29,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 432वीं, 433वीं एवं 434वीं बैठक क्रमशः दिनांक 16/11/2022, 17/11/2022 एवं 18/11/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 30/12/2022 द्वारा किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डॉ. राहुल वेंकट)	**(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)**
सदस्य सचिव	अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR INDUCTION FURNACE OF CAPACITY- 72,000 TONNES / YEAR, ROLLING MILL OF CAPACITY- 1,08,000 TONNES / YEAR OF M/S MANGAL SPONGE AND STEEL PVT LTD

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. Project Proponent shall not install any re-heating furnace based rolling mill, only Hot-Charging rolling mill through induction furnace shall be installed. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be

made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter in Induction Furnace	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in coling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 10 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of

ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer/cement units. End cutting shall be used recycled back as raw material in own induction Furnaces. Mill Scales and filter dust shall be reused in own induction Furnaces. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.14% (1.06 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB

guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health Issues

i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to closer comply the issue the raised during Public Hearing.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4100	2%	82	Under existing CER work **total investment Rs. 79,82,111/-**	
			Under proposed CER work following activities at nearby. 3 Government schools	
			Plantation with fencing	20.00
			New toilet construction work	
			Water harvesting system	
			Potable drinking water facility	
			Medical camps	2.00
			Total	**22.00**
			Grand Total	**101.82**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. Project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

<u>ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF EXISTING COMMON BIO-MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY (INCINERATION CAPACITY - 250 KG/HR TO 750 KG/HR, AUTO CLAVE CAPACITY - 175 LITRES/BATCH TO 525 LITRES/BATCH AND SHREDDER CAPACITY - 500 KG/HR TO 1,500 KG/HR AND CHEMICAL DISINFECTION UNIT CAPACITY - 500 KG/HR TO 1,500 KG/HR) OF M/S SMS WATERGRACE ENVIROPROTECT PRIVATE LIMITED AT KHASRA NO. 7071, 7072 & 7505, VILLAGE- SILTARA, NEAR SILTARA INDUSTRIAL AREA, TEHSIL-DHARSIWA & DISTRICT- RAIPUR</u>

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. Transportation and handling of Bio-medical Waste shall be as per the Biomedical Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 including the section 129 to137 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration- 2005, issued by CPCB. Guidelines of CPCB for Bio-medical Waste Common Hazardous Wastes incinerations shall be followed.

iv. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

vi. All other statutory clearance such as the approvals for the storages of the diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable by the project proponent from the respective competent authorities.

vii. Project Proponent shall follow all the guidelines issued by MoEF&CC and direction issued by Hon'ble Supreme Court of India/ Hon'ble National Green Tribunal/ Hon'ble High Court of India/ Any Other Court of Law from time to time.

viii. Project Proponent shall carried out Gap Analysis Study and submit report to SEIAA/SEAC, C.G. and Chhattisgarh Environment Conservation Board.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system including Dioxin and furans to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 and connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. Periodical Air Quality monitoring in and around the site including VOC, HC shall be carried out.

iii. The project proponent shall ensure that Aero-Biological study shall be carried out every year.

iv. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic

Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3% or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.

v. The project proponent shall provide for proposed activity APC Consisting of Gas Quencher Ventury Scrubber, Packed Bed Scrubber with the incinerator with stack of adequate height (minimum 30 meter) to control particulate emission within 30mg/Nm^3, HCl emission within 30mg/Nm^3 and NO_x emission within 200mg/Nm^3. Pollution load after proposed activity shall not be exceed the existing load for which Consent To Operate has been granted.

vi. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for fugitive dust from all vulnerable source, so as to comply prescribed standards. All necessary air pollution control devices (quenching, Venturiscrubber, mist eliminator) should be provided for competent emission standards.

vii. Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

viii. Masking agent should be used for odour control.

ix. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install effluent monitoring system with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall not use ground water without prior permission from Central Ground Water Authority.

iii. Waste water generated from the facility shall be treated in the ETP and treated waste water shall be reused in the APCD connected to the incinerator.

iv. The water quality of treated effluent shall meet the norms prescribed by CPCB/ CECB. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

v. Process effluent / any waste water should not be allowed to mix with storm water.

vi. Total fresh water use shall not exceed the proposed requirement as provided in the project details. Prior permission from the competent authority shall be obtained for use of fresh water.

vii. Sewage Treatment Plant shall be provided for treatment of domestic effluent generated from the project to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation, Dust suppression etc. Zero discharge condition shall be maintained all the time.

viii. The leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.

ix. Magnetic flow meters shall be provided at the inlet and outlet of the ETP & all ground water abstraction points and records for the same shall be maintained regularly.

x. Rain water runoff form hazardous waste storage area shall be collected and treated in ETP.
xi. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
xii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
xiii. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
xiv. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas (if any).

VI. Waste Management

i. Incinerated ash shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh prior to the commencement of the project.
ii. The solid waste shall be segregated as per the norms of the Solid Waste Management Rules, 2016.
iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid waste should be obtained, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the municipal solid waste generated from the project.
iv. Any wastes from construction and demolition activity related their shall be managed to strictly conforms to the Construction and Demolition Rules, 2016.
v. No landfill site is allowed within the Common Bio-medical Waste Treatment Facility site.
vi. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016. The project proponent shall not store the hazardous waste more than the quantity that has been permitted by the CPCB / CECB.
vii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area equal to 40% of the total plant plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health issues

i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to closer comply the issue the raised during Public Hearing.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at nearby	
			Paving Van Nirman in Village-Sitara	4.50
			Solar LED Street Lights (50 W)	0.30
			Rain Water Harvesting System at Sitara Gram Panchayat Office	0.60
			Potable Drinking Water Facility at Sitara Vidhyalaya	0.10
			Total	**5.50**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for

standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. Project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्रीमती मंजू अग्रवाल) की खसरा क्रमांक – 1529, कुल लीज क्षेत्र 0.405 हेक्टेयर, ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन कुल क्षमता 2,108 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.405 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन कुल क्षमता 2,108 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनरुपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आगम में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी रि–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनरुद्धारण इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

8. किसी चिमनी / वेंट / फ्यूजिव स्त्रोतों से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइन्ट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रणाली एवं नियंत्रित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, पिट, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं हेतु ऑटोमेटिक जल छिड़काव सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. ढुलाई, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व में चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पिट तथा डम्प क्षेत्र में सिल्टिंग पौंड / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन मैकेनिकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.08	2%	0.27	Following activities at Government Primary School,	

			Kawarpara, Village-Devipur	
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.54
			Total	**0.69**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में फलदार (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 250 रूपये, खाद के लिए राशि 625 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,875 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 425 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, बीजा, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 100 नग पौधों का रोपण (कुल 520 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण

का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं कोऑर्डिनेट्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यो एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थानों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर [illegible] क्रमवार में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि प्रवासी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्युपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा प्रत्याहरण / निरस्त्रण के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पूर्ण नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा पर

विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उत्खनन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF INDUCTION FURNACE (MS BILLETS/INGOTS) OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 72,000 TONNES / YEAR OF M/S NAV DURGA ISPAT PRIVATE LIMITED

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. Project Proponent shall not commission any re-heating furnace or hot charging based rolling mill without prior environmental clearance. As per the MoEF&CC Notification S.O. 3250(E), dated 20.07.2022 for standalone re-rolling or cold rolling units with capacities more than 5000 Tonnes per annum, project proponent shall apply online in TOR for preparing of EIA/EMP report.

v. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate

provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter in Induction Furnace	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in cooling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 8 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized

under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer/cement units. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.1% (0.48 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
950	2%	19	Following activities at nearby, **Village-Sarora**	
			Eco Park Nirman	19.04
			Total	**19.04**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

x. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

xi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as

amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF INDUCTION FURNACE WITH HOT CHARGING ROLLING MILL (RE-ROLLED PRODUCTS) OF CAPACITY- 29,500 TONNES / YEAR TO 59,500 TONNES / YEAR OF M/S JAGDISH ISPAT PRIVATE LIMITED

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. Project Proponent shall not install any re-heating furnace based rolling mill, only Hot-Charging rolling mill through induction furnace shall be installed. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately

rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter in Induction Furnace	30 mg/Nm³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in coiling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 08 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

iii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

iv. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer/cement units. End cutting shall be used recycled back as raw material in own Induction Furnaces. Mill Scales and filter dust shall be reused in own Induction Furnaces. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.01% (0.682 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
250	1%	2.5	Following activities at Government Girls High School **Village- Chanada**	
			Rain water harvesting	1.218
			Water Supply arrangement with 5 year AMC	0.650
			Water tank & pipe line Facility for Toilets	0.450
			Plantation	1.785
			Total	4.103

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The

copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC | **Chairman, SEAC**